पाठ 3.1 : बच्चे काम पर जा रहे हैं

राजेश जोशी

BDM2GD

राजेश जोशी *का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़, मध्यप्रदेश में हुआ। वे हिंदी के प्रमुख प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके प्रमुख कविता संग्रह* ***दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हँसी, एक दिन बोलेंगे पेड़*** *और* ***मिट्टी का चेहरा*** *हैं। यह कविता उनके संग्रह* ***नेपथ्य में हँसी*** *से ली गई है।*

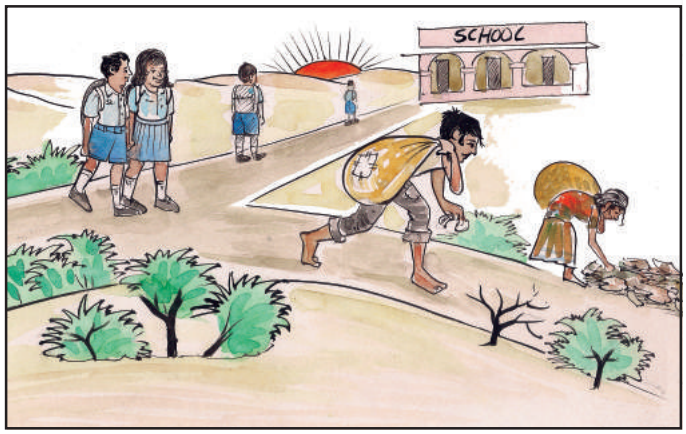

कोहरे से ढँकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं
सुबह–सुबह।

बच्चे काम पर जा रहे हैं
हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह,
भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना
लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह
काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे?

क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें?
क्या दीमकों ने खा लिया है
सारी रंग–बिरंगी किताबों को?
क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने?
क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं
सारे मदरसों की इमारतें?

क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आँगन
खत्म हो गए हैं एकाएक?

तो फिर बचा ही क्या है इस दुनियाँ में?
कितना भयानक होता अगर ऐसा होता
भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह

कि हैं सारी चीजें हस्ब–ए–मामूल
पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए
बच्चे, बहुत छोटे–छोटे बच्चे
काम पर जा रहे हैं।

शब्दार्थ

विवरण – ब्यौरा देना, तथ्य की तरह बताना; **हस्ब–ए–मामूल** – ज्यों–की–त्यों उपलब्ध होना, यथावत; **मदरसा** – विद्यालय।

अभ्यास

पाठ से

1. ''बच्चे काम पर जा रहे हैं।'' इस पंक्ति को हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति क्यों कहा गया है?
2. कवि ने ऐसा क्यों कहा है– ''भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह।''
3. कविता में आईं इन चीज़ों के साथ क्या हो जाने का अंदेशा व्यक्त किया गया है?

चीज़ों के नाम	अंदेशा
गेंदें	
किताबें	
खिलौने	
मदरसों की इमारतें	
मैदान	
बगीचे	
घरों के आँगन	

पाठ से आगे

1. बच्चों के काम पर जाने से उनका बचपन किस तरह प्रभावित होता है?
2. बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। आपकी समझ से इसके क्या–क्या कारण हो सकते हैं?
3. यदि सारे मैदान, बगीचे और घरों के आँगन सचमुच खत्म हो जाएँ तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
4. (क) सुबह–सुबह उठकर आप क्या–क्या करते हैं?

   (ख) जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वे क्या–क्या करते होंगे?

भाषा के बारे में

1. (क) 'पेड़ काटे जा रहे हैं।' यह विवरण की तरह लिखा गया है। इसी बात को सवाल की तरह हम लिख सकते हैं– ''पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं?''

   आप भी किन्हीं पाँच पंक्तियों को विवरण की तरह लिखिए और उन्हें सवाल के रूप में बदलिए।

   (ख) सवाल और विवरण में क्या अंतर है?

2. 'चाहिए' के बारे में–

   (क) मुझे केला चाहिए।

   (ख) तुम्हें स्कूल जाना चाहिए।

   उपर्युक्त दोनों वाक्यों में 'चाहिए' के अर्थ में क्या अंतर है? बताइए और ऐसे ही दो और वाक्य लिखिए।

3. प्रायः **क्या, कब, कहाँ, कैसे** और **कौन** आदि प्रश्नसूचक शब्दों की मदद से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। निम्नांकित वाक्य में उत्तर सूचक शब्द के स्थान पर उपर्युक्त प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों का निर्माण कीजिए।

   ''सुबह–सुबह कोहरे से ढँकी सड़क पर बच्चे पैदल काम पर जा रहे हैं''

   जैसे– प्रश्न : सुबह–सुबह कोहरे से ढँकी सड़क पर बच्चे पैदल कहाँ जा रहे हैं?

   उत्तर : सुबह–सुबह कोहरे से ढँकी सड़क पर बच्चे पैदल काम पर जा रहे हैं।

योग्यता विस्तार

1. समूह कार्य –

   (क) पता करें कि आपके गाँव/मोहल्ले में आपके हमउम्र कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं?

(ख) वे जब स्कूल नहीं जाते, तब क्या–क्या करते हैं? उनमें लड़कियों और लड़कों की संख्या कितनी है? उनका शैक्षिक स्तर क्या है?

(ग) पता लगाने की कोशिश कीजिए कि बच्चों के स्कूल ना जाने या छोड़ने के क्या कारण हो सकते हैं?

2. बाल मजदूरी को रोकने के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। नीचे दिए गए इन संवैधानिक प्रावधानों को पढ़कर समूह में चर्चा कीजिए।

संवैधानिक प्रावधान

संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सीधे तौर पर "बालश्रम" के लिए संबोधित हैं।

अनुच्छेद–24

फैक्टरियों आदि में बाल श्रमिकों पर प्रतिबंध।

"चौदह वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा फैक्टरी, खदान या अन्य खतरनाक कार्यस्थलों पर काम में नहीं लगाया जाएगा।"

5. आपने ''बच्चे काम पर जा रहे हैं'' कविता पढ़ी। ऐसी ही एक रचना है, नरेश सक्सेना की कविता 'अच्छे बच्चे'। शिक्षकों की मदद से इसे खोजिए और पढ़िए।

बालश्रम निषेध अधिनियम

बालश्रम का मतलब ऐसे कार्य से है, जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु–सीमा से छोटा है। इस प्रथा को कई देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने शोषित करने वाली प्रथा मना है। इन्हीं बातों से संबंधित बालश्रम (निषेध एवं विनियम) अधिनियम 1986 लागू हुआ। संविधान का अनुच्छेद 24 इससे संबंधित है। यह अधिनियम 14 साल की आयु से कम के बच्चों से काम कराना गैरकानूनी मानता है साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानो/खदानों में काम करने का निधेष करता है। इस नियम की कुछ सीमाएँ भी निर्धारित की गयी है– जैसे–पारिवारिक व्यवसायों में बच्चे स्कूल से वापस आकर या गर्मी की छुट्टियों में काम कर सकते हैं। इसी तरह फिल्मों मे बाल कलाकारों को काम करने की अनुमति है। खेल से जुड़ी गतिविधियों में भी वे सहभागिता निभा सकते हैं। इसी प्रकार 14–18 वर्ष की आयु के बच्चों को काम पर रखा जा सकता है, बशर्ते वह कार्य/कार्यस्थल सूची में शामिल खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया से न जुड़ा हो। इस नियम का उल्लंघन करने पर दण्ड का भी प्रावधान है। यदि कोई नागरिक इस कानून की अवमानना होते हुए देखता है तो वह इसकी शिकायत पुलिस/मजिस्ट्रेट से कर सकता है, या बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं की संज्ञान में ला सकता है।

उक्त कानून का उल्लंधन करते हुए पकड़े जाने पर वारंट की गैर–मौजूदगी में गिरफ्तारी या जाँच की जा सकती है। अपराध सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्ति/मालिक को माह 6 माह 2 साल की जेल और 20,000/– 50,000/– रूपये तक जुर्माना हो सकता है। यदि बच्चों के माता पिता भी व्यावसायिक उद्देश्य से निर्धारित से कम उम्र के बच्चों द्वारा काम कारवाते हैं या इसकी अनुमति देते हैं तो उन्हें सजा दी जा सकती है। कानून उन्हें अपनी मूल सुधारने का एक अवसर देता है और इसे समाधान/समझौते की प्रक्रिया से सुलझाया जा सकता है पर यदि वे (माता–पिता) पुनः अपने बच्चें को निर्धारित आयु सीमा से पूर्व काम करवाते है तो उन्हें 10,000/– तक का जुर्माना हो सकता है।

●●●